

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

--आदेश--

श्री नारायण पाण्डेय, ग्राम-मंगरवारा, था0- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा ने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 1714/1965 का नवीकरण हेतु दिनांक 22.10.2013 को आवेदन समर्पित किया है। आवेदन के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति भी संलग्न नहीं किया है। प्राप्त आवेदन के आधार पर विवरण निम्नप्रकार है:-

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	पूर्व नवीकृत वर्ष	नवीकरण हेतु आवेदित वर्ष	दलान जमा करने की तिथि	आवेदन की तिथि	विलंब का कारण	विलंब का संबंध
1714/1965	दो नाली बन्दूक संख्या-16398	आवेदन में अंकित नहीं	आवेदन में अंकित नहीं	छायाप्रति संलग्न नहीं	22.10.13	कुछ वर्षों से लगातार बीमार चल रहने के कारण	

श्री पाण्डेय से प्राप्त आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वे कब तक नवीकरण कराए हैं और किस वर्ष के लिए नवीकरण कराना चाहते हैं। साथ ही विलंब का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही कोई प्रमाण / साक्ष्य ही समर्पित किया है, जिससे यह पता चल सके कि विलंब का कोई ठोस आधार है। जब कि शस्त्र का समय पर नवीकरण निरीक्षण कराना शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण में विलंब किया गया है। अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराए बिना उस पर धारित शस्त्र को अपने पास रखे रहना तथा इसका अवैध उपयोग कर शांति व्यवस्था को भंग करने की अंदेशा से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो धोर लापरवाही का द्योतक है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है।

अतएव इस कृत के लिए श्री यादव के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 1714/1965 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित धाना मालखाना में अपना दो नाली बन्दूक संख्या 16398 जमा करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि संबंधित धाना में शस्त्र जमा करने के पश्चात् जमा रसीद समय-समय पर नवीकरण नहीं कराए जाने के कारण (चिकित्सीय /अन्य साक्ष्य) स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में विवरण अंकित कर एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के अन्दर सभी वांछित कागजात एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

धानाध्यक्ष, पुरैनी को निदेश दिया जाता है कि श्री राधाकान्त यादव, पिता-स्व0कमिक प्र0 यादव, ग्राम-रौता,टोला-बालाटोल, था0- पुरैनी, जिला-मधेपुरा के द्वारा शस्त्र जमा किया जाता है तो उसे सुरक्षित मालखाना में जमा रखेंगे एवं उसकी पावती रसीद निर्गत करेंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

801
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....8...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....5-12-13.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा एवं आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : धानाध्यक्ष, कुमारखण्ड को सूचनार्थ एवं धाना में संधारित शस्त्र पंजी में भी उक्त आशय की प्रविष्टि हेतु प्रेषित। वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर जाँच

प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री नारायण पाण्डेय, ग्राम- मंगरवारा, धाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8571/13
जिला दण्डाधिकारी,